"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013—आषाढ़ 25, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013 (आषाढ़ 25, 1935)

क्रमांक-8780/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) जो मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) की धारा 2 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—जहां खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत याचिका में एकल न्यायाधीश के आदेश या निर्णय के विरुद्ध उठाये गये बिंदु जो, यथास्थिति, किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा निर्णित किये गये हों, वहां पर यह उपधारणा की जावेगी कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित ऐसा आदेश या निर्णय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित किया गया है."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विषय पर कतिपय संदेह उत्पन्न हुआ है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायपीठ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुये एकल न्यायपीठ के न्यायधीश द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध खण्ड न्यायपीठ को कब अपील होगी.

मूलत: एकल न्यायपीठ द्वारा सुनवाई किये जाने वाले प्रकरणों में बहुत छोटे मुद्दे निहित होते हैं तथा उसी न्यायालय के वृहद न्यायपीठ के समक्ष अपील (intra-court appeal) अनावश्यक रूप से न्यायालयों का कार्यभार बढ़ाता है. कभी-कभी अधीनस्थ न्यायालय/अधिकरण/अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश के मामलों में यह प्रश्न भी उद्भूत होता है कि क्या एकल न्यायाधीश के द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत किया गया है अथवा या 227 के अंतर्गत.

यत: विद्यमान प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्र. 1 सन् 2007) की धारा 2 के प्रावधानों को संशोधित किया जाना आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 4 जुलाई, 2013

हेमचंद यादव
विधि और विधायी कार्य मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) की धारा 2 की उपधारा (1) का सुसंगत उद्धरण :—

* * * * * * * * * * * * * *

आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ को अपील.

2. (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील उसी उच्च न्यायालय की दो सदस्यों वाली खण्ड न्यायपीठ को होगी.

परन्तु किसी अन्तवर्ती आदेश के विरुद्ध या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.